रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09032020-218581
CG-DL-E-09032020-218581

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 869] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 4, 2020/फाल्गुन 14, 1941
No. 869] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 4, 2020/PHALGUNA 14, 1941

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2020

का.आ. 973(अ).—जबकि सेवाओं अथवा लाभों अथवा सहायकी प्रदान करने के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी वितरण प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और पारदर्शिता और कार्यकुशलता लाता है और हिताधारियों को सीधे सुविधाजनक और निर्बाध रूप से पात्रता प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाता है और आधार व्यक्ति की पहचान साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की जरूरत का निवारण करता है;

और जबकि, भारत सरकार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (जिसमें इसके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है) एक केन्द्रीय सेक्टर की स्कीम (इसके पश्चात् उक्त को स्कीम उल्लेख कहा गया है) "कयर विकास योजना (सीवीवाई)" की व्यवस्था करता है जो अन्य बातों के साथ-साथ (इसके पश्चात् फायदा के रूप में कहा गया है) कयर कारीगरों और व्यक्तिगत कयर उद्यमियों (इसके पश्चात् सम्मिलित रूप से हिताधिकारी के रूप में कहा गया है) को देश में कयर उद्योग के सतत विकास को सुविधा प्रदान करने के लिए उक्त स्कीम के अंतर्गत कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पूर्ण हो जाने पर वृत्तिका के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है;

और जबकि, उक्त स्कीम कयर बोर्ड, कोच्ची केंद्रक अभिकरण (जिसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है;

और जबकि उक्त स्कीम में भारत के समेकित निधि से प्राप्त आवर्ती व्यय शामिल है;

अतः अब केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षियत परिदत्त अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में कहा गया है) के खंड 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित अपेक्षा करती है, अर्थात् :

1. (1) उक्त स्कीम के अंतर्गत फायदों को प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी हिताधारी के पास आधार संख्या रखने अथवा आधार प्रमाणीकरण का सबूत प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

(2) उक्त स्कीम के अंतर्गत फायदों को प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी हितधारी जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अभी तक आधार संख्या के लिए नामांकन नहीं किया है, उन्हें आधार नामांकन के लिए आवेदन करना पड़ेगा, बशर्ते वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपाबंधों के अनुसार आधार संख्या प्राप्त करने के पात्र है और ऐसे व्यक्ति किसी भी आधार नामांकन केन्द्र में (सूची भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) आधार नामांकन के लिए जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से हितधारी के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रस्थापना करता है जिसका आधार संख्या के लिए अभी तक नामांकन नहीं हुआ है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है, मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से मौजूदा यूआईडीएआई के रजिस्ट्रारों के समन्वय के साथ अथवा स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगाः

परंतु हितधारी को आधार संख्या का आबंटन किए जाने की अवधि तक, उक्त स्कीम के अंतर्गत आने वाले फायदा, निम्नवत दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण के अधीन दिए जाएंगे, अर्थात्:-

(क) (i) यदि लाभार्थी ने आधार संख्या के लिए अभ्यावेक्षित करा लिया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान दस्तावेज स्लिप; या

(ii) पैरा 2 के उप-पैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की एक प्रति; और

(ख) निम्नलिखित में से कोई भी एक दस्तावेज, अर्थात्

(i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ज़ारी मतदाता पहचान पत्र; या

(ii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 की 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा ज़ारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(iii) शासकीय पत्र शीर्ष पर राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा ज़ारी ऐसे फायदा ग्राही का फोटो युक्त पहचान पत्र; या

(iv) आयकर विभाग द्वारा ज़ारी स्थायी लेखा संख्या (पैन) कार्ड; या

(v) पासपोर्ट; या

(vi) राशन कार्ड; या

(vii) फोटो युक्त बैंक पासबुक अथवा डाक घर पासबुक; या

(viii) मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः

इसके परंतु यह और कि उक्त प्रयोजनों के लिए मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से अभिहित अधिकारी द्वारा उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

2. उक्त स्कीम के अंतर्गत हिताधिकारियों को सुविधाजनक और निर्बाध रूप से फायदे मुहैया कराने के लिए, इस मंत्रालय ने अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उक्त स्कीम के अंतर्गत आधार संख्या की आवश्यकता के प्रति इन्हें जागरुक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार हेतु सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं की जाएगी।

3. उन सभी मामलों में, जहां हितधारियों के खराब बायोमैट्रिक अथवा अन्य किसी कारण से आधार प्रमाणन विफल हो जाता है तो निम्नवत अपवाद स्वरूप संभालने में प्रणलियां अपनाई जाएंगी, अर्थात् :-

(क) खराब गुणवत्ता वाली अंगुलिछाप के मामले में, प्रमाणन के लिए आईआरआईएस स्कैन अथवा फेस प्रमाणन सुविधा को अपनाया जाएगा, जिससे मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से निर्बाध रूप से लाभों को प्रदान करने के लिए अंगुलिछाप प्रमाणन समेत आईआरआईएस स्कैनरों या फेस प्रामणन के लिए प्रावधान करेगा।

(ख) यदि अंगुलिछाप अथवा आईआरआईएस अथवा फेस प्रमाणन के माध्यम से बायोमैट्रिक प्रमाणन सफल नहीं होता है, जहां कहीं व्यवहार्य और स्वीकार्य है परिस्थिति अनुसार सीमित समय की वैधता के साथ आधार का एक-बारगी पासवर्ड (ओटीपी) या समय-आधारित एक-बारगी पासवर्ड (टीओटीपी) के माध्यम से प्रमाणन का प्रस्थापन किया जाएगा;

(ग) अन्य मामलों में, जहां बायोमैट्रिक या ओटीपी या टीओटीपी प्रमाणन संभव नहीं हो तो वास्तविक आधार पत्र के आधार पर फायदा प्रदान किए जा सकते हैं जिसकी प्रमाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित क्यूआर कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है। मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर क्यूआर कोड रीडर की अपरिहार्य व्यवस्था की जाएगी।

4. यह अधिसूचना असम और मेघालय राज्यों से सिवाय, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के राजपत्र में इसके प्रकाशन को तारीख से प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. ए-54/1270/2018-डीएटीसी (यूआईडीएआई)-सीवीवाई]

सुधीर गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2020

S.O. 973(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering the "Coir Vikas Yojana (CVY)", a Central Sector Scheme (hereinafter referred to as the said Scheme) which, *inter alia*, provides financial benefits in the form of stipend (hereinafter referred to as the benefit) to the coir workers and individual coir entrepreneurs (hereinafter collectively referred to as the beneficiary) on the completion of skill development and training programmes under the said Scheme to facilitate sustainable development of the coir industry in the country;

And whereas, the said Scheme is implemented by the Coir Board, Kochi, the Nodal Agency (hereinafter referred to as the Implementing Agency);

And whereas, the said Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby requires the following, namely:-

1. (1) Any beneficiary desirous of receiving the benefits under the said Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any beneficiary desirous of receiving the benefits under the said Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, who has not yet enrolled for Aadhaar number, shall have to apply for Aadhaar enrolment, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar number as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website at www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiary who is not yet enrolled for Aadhaar number, and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar itself:

Provided that till the time Aadhaar number is assigned to a beneficiary, benefits under the said Scheme shall be given to such beneficiary, subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if he or she has enrolled for Aadhaar number , his or her Aadhaar Enrolment Identity Document slip; or

(ii) a copy of the request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2; and

(b) any one of the following documents, namely:-

(i) Voter Identity Card issued by the Election Commission of India; or

(ii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(iii) Certificate of identity having photo of such beneficiary issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on the Official Letter Head; or

(iv) Permanent Account Number (PAN) Card issued by the Income-tax Department; or

(v) Passport; or

(vi) Ration Card; or

(vii) Bank Passbook or Post Office Passbook with photo; or

(viii) any other document as specified by the Ministry:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the Ministry through its Implementing Agency for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the said Scheme, the Ministry through its Implementing Agency shall make all the required arrangements for wide publicity through media to make them aware of the requirement of Aadhaar number under the said Scheme.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiary or due to any other reason, the following exception handling mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, IRIS scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Ministry through its Implementing Agency shall make provisions for IRIS scanners or face authentication along with fingerprint authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case biometric authentication through fingerprints or IRIS or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible, authentication by Aadhaar One Time Password (OTP) or Time-based One-Time Password (TOTP) with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in other cases where biometric or OTP or TOTP authentication is not possible, benefit may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the QR code printed on the Aadhaar letter. The necessary arrangement of QR code reader shall be provided at convenient locations by the Ministry through its Implementing Agency;

4. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territory Administrations, except the States of Assam and Meghalaya.

[F. No. A-54/1270/2018-DATC (UIDAI)-CVY]

SUDHIR GARG, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.03.09 20:11:05 +05'30'